रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 515] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 19, 1971/आश्विन 27, 1893
No. 515] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 19, 1971/ASVINA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th October 1971

S.O. 4028|IDRA|18A|71.—Whereas the Central Government is of the opinion that the Mysore Spinning and Manufacturing Co. Ltd., Bangalore an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, the Mysore Spinning and Manufacturing Co. Ltd., Bangalore, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order; and

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier if it considers it necessary to do so.

This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 0(17)/Lic. Pol./70.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1971

का० आ० 4028/आई०डी० आर०ए०/18ए/71.—यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मसूर स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, बंगलौर नामक एक औद्योगिक उपक्रम का, जिसके सम्बन्ध में औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच की गई, प्रबंध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है;

अत:, अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, (जिसे एतदोपरान्त प्राधिकृत नियंत्रक कहा जायेगा) को मैसूर स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, बंगलौर नामक उपरोक्त संपूर्ण उपक्रम का प्रबंध अपने अधिकार में लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा;

(2) प्राधिकृत नियंत्रक इस अधिसूचित आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कार्यभार संभालेगा;

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझेगी, तो उससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को रद्द कर सकती है।

यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[सं० 9(17)/लाइ० पी० 70]

सुरेश कुमार सहगल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971